न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 37/2019 **(RCMS No. 2019/00074)**

वादीगण

1. महावीर प्रसाद पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी सारणपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. केशरदेवी पत्नि छोगाराम
2. गोगादेवी पत्नि प्रभूराम
3. मगनी पुत्र प्रभूराम
4. मोहनी पुत्री प्रभूराम
5. सोहनी पुत्र प्रभूराम जाति समस्त जाट निवासी श्रवणपुरा तहसील कुचामनसिटी
6. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा–भू–विभाजन व इस्तकरार हक 53,88, R.T.Act 1955

उपस्थित – श्री ऋषभ शर्मा अधिवक्ता वादी की ओर से।
श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 05.09.2019

वादीगण की आरे से प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है वादी की कृषि भूमि ग्राम श्रवणपुरा पटवार मण्डल उगरपुरा के खसरा नम्बर 355 रकबा 2.29 हैक्टर किस्म चाही प्रथम में सहखातेदारो के साथ शामलाती भूमि आई हुई है, जिसमें वादी का 129/229 स्थित है जिस पर वादी आज दिन निर्विवाद रूप से काबिज काश्तकार है जिस पर वादी निरन्तर व निर्बाध रूप से काश्त करता चला आ रहा है तत्कालीन खातेदार प्रभूराम पुत्र केसाराम खरीद की थी, खरीद करते समय तत्कालीन खातेदार ने वादी को मौके पर कब्जा संभला दिया था, खसरा नम्बर 355 पर मौके पर काबिज जगह का नजरी नक्शा वाद–पत्र में दर्शाया गया है जिसमें लाल स्याही से दर्शित अलग **ABCD** है, अभी तक 5–4 रोज पूर्व नकले प्राप्त कर सह खातेदो से मौके पर भू–विभाजन करवाने बाबत कहा तो सह खातेदारान पहले तो दिलासा देते रहे कि 1–2 दिन में करवा लेंगे फिर बंटवारा करने से साफ इन्कार कर दिया और एलानिया धमकी देने लगे की हम हमारे मन–माफिक भूमि पर कब्जा कर बंटवारा करवायेगे। वादी को आये दिन किसान कार्ड लेने सरकारी सहायता प्राप्त करने बाबत बार–बार सह खातेदारो की सहमति की आवश्यकता होने पर खातेदारो द्वारा मना करने पर वादी को रोज–रोज असुविधा उत्पन्न होती है। वादी की इस्तदुआ है कि ग्राम श्र[illegible] के खसरा नम्बर 355 की भूमि पर वाद पत्र के पैरा संख्या 4 में स्थित नजरी नक्शा [illegible] अनुसार विधिवत विभाजन कर प्रतिवादी संख्या 6 को अमल दरामद [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 10:42:38 IST
Reason: SelfAttested

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वाद पत्र को स्वीकार करते हुए इकबालो जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5, 6 के सम्मन तामिल होकर प्राप्त, बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी द्वारा जमाबन्दी नकल सम्वत 2071–74, 2075–2078, नक्शा ट्रेस की प्रति, बेचान दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत की है।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई, वकील वादी ने बहस दौरान बताया कि इस्तदुआ अनुसार वाद डिक्री किया जावे। नकल खतौनी सम्वत 2071–2074 ग्राम श्रवणपुरा के खसरा नम्बर 355 रकबा 2.29 हैक्टर चाही प्रथम प्रभूराम पुत्र केसाराम हि. 1. 6426 हैक्टर केशरीदेवी पत्नि छोगाराम हि. 0.6474 हैक्टर जाति जाट सा. देह खातेदार नामा. सं. 219 दिनॉक 04.04.2017 के द्वारा बेचान से प्रभूराम पुत्र केसाराम हि. 1.6426 हैक्टर के स्थान पर प्रभूराम पुत्र केसाराम 1763/11450 जाति जाट सा. देह महावीर प्रसाद पुत्र रामूराम हि. 129/229 जाति जाट सा. सारणपुरा दर्ज है, नकल खतौनी सम्वत 2075–2078 खसरा नम्बर 355 रकबा 2.29 हैक्टर में केशरदेवी पत्नि छोगाराम हिस्सा 3237/11450 जाति जाट, गोगादेवी पत्नि प्रभूराम हिस्सा 3526/40075 जाति जाट, मंगनी पुत्री प्रभूराम हिस्सा 1763/80150 जाति जाट, महावीरप्रसाद पुत्र रामूराम हिस्सा 129/229 जाति जाट, मोहनी पुत्री प्रभूराम हिस्सा 1763/80150 जाति जाट, सोहनी पुत्री प्रभूराम हिस्सा 1763/80150 जाति जाट, सा. देह खातेदार दर्ज है। उपरोक्तानुसार ही पक्षकारान मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा अपने अपने हिस्से पर काबिज है, वादी द्वारा प्रतिवादी गोगादेवी मगनीदेवी मोहनी सोहनी के पिता पति से ही भूमि क्रय की गई है तथा उसी दिन से काबिज होकर काश्त करता आ रहा है, नजरी नक्शा अनुसार उपरोक्त भूमि में बंटवारा चाहा गया है, जिसकी पुष्टि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाब दावा से होती है तथा उपलब्ध रेकार्ड इत्यादि से भी होती है, अतः वाद वादी काबिल प्राथमिक डिक्री योग्य पाये जाने से निम्न प्रकार से प्राथमिक डिक्री किया जाता है।

आदेश

ग्राम श्रवणपुरा के खसरा नम्बर 355 रकबा 2.29 हैक्टर में केशरदेवी पत्नि छोगाराम हिस्सा 3237/11450 जाति जाट, गोगादेवी पत्नि प्रभूराम हिस्सा 3526/40075 जाति जाट, मंगनी पुत्री प्रभूराम हिस्सा 1763/80150 जाति जाट, महावीरप्रसाद पुत्र रामूराम हिस्सा 129/229 जाति जाट, मोहनी पुत्री प्रभूराम हिस्सा 1763/80150 जाति जाट, सोहनी पुत्री प्रभूराम हिस्सा 1763/80150 जाति जाट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि वह मौके पर जाकर रूबरू पक्षकारान बंटवारा स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करे तथा खातेदारान के आवागमन हेतु रास्ते को दर्शाते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करे। प्राथमिक डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक [illegible] सरे इजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 10:42:38 IST
Reason: SelfAttested

(बाबूलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 57 / 2019 **(RCMS No. 2019/00074)**

वादीगण

1. महावीर प्रसाद पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी सारणपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. केशरदेवी पत्नि छोगाराम
2. गोगादेवी पत्नि प्रभूराम
3. मगनी पुत्र प्रभूराम
4. मोहनी पुत्री प्रभूराम
5. सोहनी पुत्र प्रभूराम जाति समस्त जाट निवासी श्रवणपुरा तहसील कुचामनसिटी
6. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा–भू–विभाजन व इस्तकरार हक 53,88, R.T.Act 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री ऋषभ शर्मा अधिवक्ता वादी की ओर से श्री अशोकपुरा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू ....मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम श्रवणपुरा के खसरा नम्बर 355 रकबा 2.29 हैक्टर में केशरदेवी पत्नि छोगाराम हिस्सा 3237 / 11450 जाति जाट, गोगादेवी पत्नि प्रभूराम हिस्सा 3526 / 40075 जाति जाट, मंगनी पुत्री प्रभूराम हिस्सा 1763 / 80150 जाति जाट, महावीरप्रसाद पुत्र रामूराम हिस्सा 129 / 229 जाति जाट, मोहनी पुत्री प्रभूराम हिस्सा 1763 / 80150 जाति जाट, सोहनी पुत्री प्रभूराम हिस्सा 1763 / 80150 जाति जाट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि वह मौके पर जाकर रूबरू पक्षकारान बंटवारा स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करे तथा खातेदारान के आवागमन हेतु रास्ते को दर्शाते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करे। प्राथमिक डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल रहे।

निज .... मुबलिग .... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 05 माह 09 सन् 2019 को जारी की गई।

(मुहर) उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालात नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 10:42:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (नागौर)

क्रमांक / राजस्व / 2019 / 166　　　　　　　　　　दिनॉकः— 9.9.19

प्रेषित :— तहसीलदार

कुचामनसिटी

विशय :—राजस्व वाद सं. 37 / 2019 महावीर प्रसाद बनाम केशरदेवी वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना बाबत

---X-X-X--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के राजस्व वाद संख्या 37 / 2019 महावीर प्रसाद बनाम केशरदेवी वगैरह में प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रमाणित प्रति भिजवाई जा रही है। माफिक प्राथमिक डिक्री रूबरू पक्षकारान बंटवारा स्कीम तैयार कर इस न्यायालय में अतिशीघ्र प्रस्तुत करे।

सलंग्नः—उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 10:42:38 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) कुचामन सिटी

क्रमांक/भू.अ 1542 दिनांक 30.9.19

धा मि. इन्द्री
15-10-19

प्रेषित :- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
कुचामन सिटी

विषय :- राजस्व वाद सं. 37/2019 महावीर प्रसाद बनाम केशरदेवी कोरट मे पारित प्रासंगिक डीग्री आदेश की पालना बाबत

प्रसंग :- श्रीमान का पत्र क्रमांक/राजस्व/2019/166 दि 9.9.19

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा चाही गई बटवारा स्कीम रूबरू पक्षकारान तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न :- मौका पर्चा

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 10:42:38 IST
Reason: SelfAttested

मौका पर्चा

आज दिनांक 20.9.19 को श्रीमान तहसीलदार साहब, कुचामनसिटी के आदेश क्रमांक / भू.अ./1504 दि. 17.9.19 की पालना में न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, कुचामनसिटी द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री (मु.नं. 37/2019) की अनुपालना हेतु मौजा ग्राम श्यामपुरा के ख० नं० 355 रकबा 2.29 है. के मौके पर पहुंचा। मौके पर उपस्थित पक्षकारान व मौतबिरान के समक्ष मौका देखा। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ख० नं० 355 की खातेदारी केशर-देवी पत्नी छोगाराम हि. $\frac{3237}{11450}$ गोगादेवी पत्नी प्रभुराम हि. $\frac{3526}{40075}$ मंगली पुत्री प्रभुराम हि. $\frac{1763}{80150}$ मोहनी पुत्री प्रभुराम हि. $\frac{1763}{80150}$ मोहनी पुत्री प्रभुराम हि. $\frac{1763}{80150}$ जाति जाट सा. देह महावीरप्रसाद पुत्र रामूराम हि. $\frac{129}{229}$ जाति जाट सा. मारवाड़ा हाल निवासी श्यामपुरा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उपस्थित पक्षकारान व मौतबिरान के बताये अनुसार व मौका स्थिति अनुसार निम्न नजरी नक्शानुसार खातेदार मौके पर काबिज है।

नजरी नक्शा (बंटवारा स्कीम)

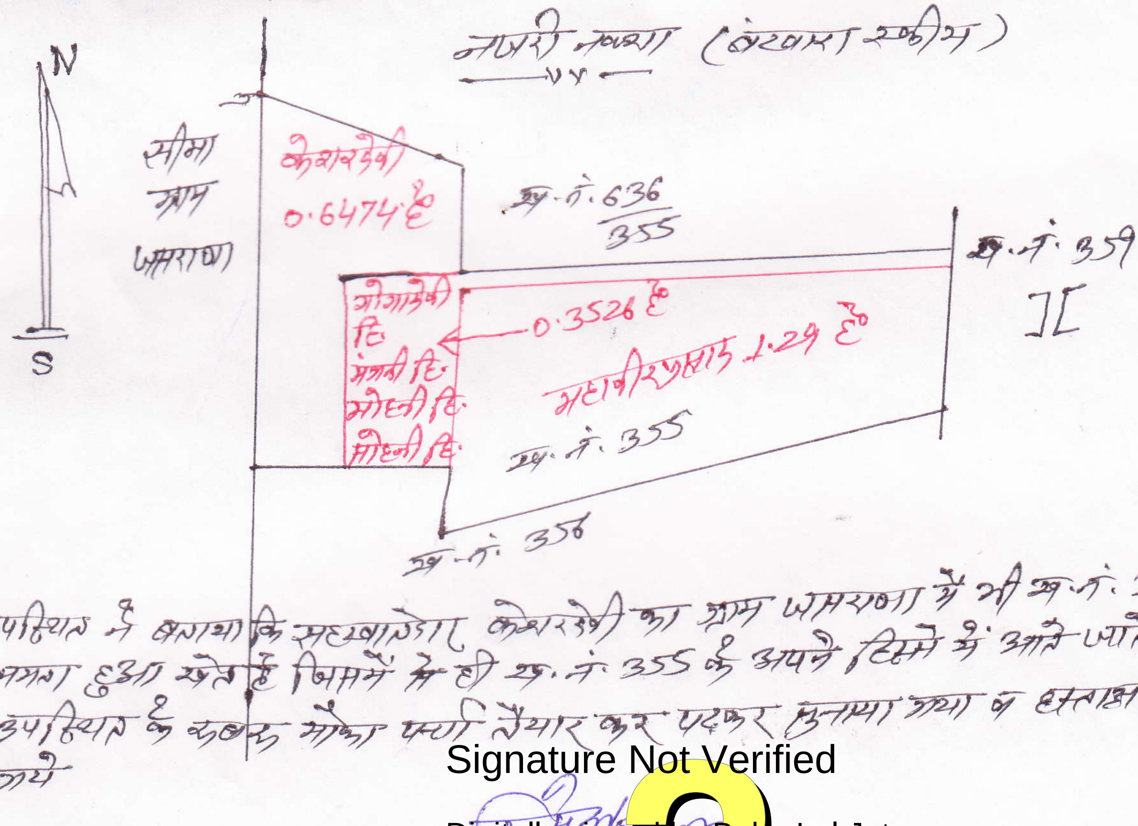

उपस्थित ने बताया कि खातेदार केशरदेवी का ग्राम जसराणा में भी ख.नं. 355 से लगता हुआ खेत है जिसमें से ही ख.नं. 355 के अपने हिस्से में आते जाते हैं। उपस्थित के समक्ष मौका पर्चा तैयार कर पढ़कर सुनाया गया व हस्ताक्षर करवाये गये

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 10:42:38 IST
Reason: SelfAttested

महावीर

R.T.I. केशरदेवी

पटवारी श्यामपुरा

प्रभुराम चौधरी

मानाराम

सुरेन्द्र

R.T.I.

रमेश कुमार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 37/2019 **(RCMS No. 2019/00074)**

वादीगण

1. महावीर प्रसाद पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी सारणपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. केशरदेवी पत्नि छोगाराम
2. गोगादेवी पत्नि प्रभूराम
3. मगनी पुत्र प्रभूराम
4. मोहनी पुत्री प्रभूराम
5. सोहनी पुत्र प्रभूराम जाति समस्त जाट निवासी श्रवणपुरा तहसील कुचामनसिटी
6. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा–भू–विभाजन व इस्तकरार हक 53,88, R.T.Act 1955

उपस्थित – श्री ऋषभ शर्मा अधिवक्ता वादी की ओर से।

श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 29.11.2019

वकुलाय उपस्थित। उभय पक्षकारान ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री तहसीलदार कुचामन सिटी से प्राप्त हो चुकी है माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। वकील वादी की बहस पर वाद पत्र एवं वाद पत्र के संलग्न दिनांक 05.09.2019 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी ने बंटवारा स्कीम पत्रांक भू0अ0/2019/1542 दिनांक 30.09.2019 द्वारा भिजवाई गई, बंटवारा स्कीम शामिल मिसल उपलब्ध है। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा स्कीम का

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 10:42:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि वादी का वाद काबिल अन्तिम डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

आदेश

ग्राम श्रवणपुरा के खसरा नम्बर 355 रकबा 2.29 हैक्टर में केशरदेवी पत्नि छोगाराम हिस्सा 3237/11450 जाति जाट, गोगादेवी पत्नि प्रभूराम हिस्सा 3526/40075 जाति जाट, मंगनी पुत्री प्रभूराम हिस्सा 1763/80150 जाति जाट, महावीरप्रसाद पुत्र रामूराम हिस्सा 129/229 जाति जाट, मोहनी पुत्री प्रभूराम हिस्सा 1763/80150 जाति जाट, सोहनी पुत्री प्रभूराम हिस्सा 1763/80150 जाति जाट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 29.11.18 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(बाबुलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी, (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 10:42:38 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : **बाबुलाल जाट (R.A.S.)**

राजस्व वाद संख्या 57 / 2019 **(RCMS No. 2019/00074)**

वादीगण

1. महावीर प्रसाद पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी सारणपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. केशरदेवी पत्नि छोगाराम
2. गोगादेवी पत्नि प्रभूराम
3. मगनी पुत्र प्रभूराम
4. मोहनी पुत्री प्रभूराम
5. सोहनी पुत्र प्रभूराम जाति समस्त जाट निवासी श्रवणपुरा तहसील कुचामनसिटी
6. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा–भू–विभाजन व इस्तकरार हक 53,88, R.T.Act 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री ऋषभ शर्मा अधिवक्ता वादी की ओर से श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू ....मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **ग्राम श्रवणपुरा के खसरा नम्बर 355 रकबा 2.29 हैक्टर में केशरदेवी पत्नि छोगाराम हिस्सा 3237 / 11450 जाति जाट, गोगादेवी पत्नि प्रभूराम हिस्सा 3526 / 40075 जाति जाट, मंगनी पुत्री प्रभूराम हिस्सा 1763 / 80150 जाति जाट, महावीरप्रसाद पुत्र रामूराम हिस्सा 129 / 229 जाति जाट, मोहनी पुत्री प्रभूराम हिस्सा 1763 / 80150 जाति जाट, सोहनी पुत्री प्रभूराम हिस्सा 1763 / 80150 जाति जाट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।**

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 29 माह 11 सन् 2019 को जारी की गई।

(मुहर) उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			[illegible]		
स्टाम्प वजह सबूत			[illegible] कील		
महन्ताना वकिल			खर्चा ग[illegible]		
खर्चा गवाहन			फि[illegible]नर		
फिस कमि□नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुत[illegible]क		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 10:42:38 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2019.12.08 11:07:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: